ikpk;l dk;kly;] o}eku vk;fo|Kku

lLFkku] ikokiqjh] ukyUnk - 803115

Phone: 06112-262793 (Office) Website- www.vimspawapuri.org

flD;fjfV xkMl dh lok miyC/k djku grq fufonk lpuk

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सिक्यूरिटि गार्ड की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निबंधित सुरक्षा एजेसिंयों से जिन्हें निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिहार सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त हो तथा जो श्रम विभाग, बिहार सरकार एवं सेन्ट्रल एक्साईज के अन्तर्गत निबंधित हो से द्विलिफाफा पद्वति तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में निविदा प्रकाशन की तिथि से 22वें दिन 05:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा निबधित डाक/स्पीड पोस्ट डाक से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस (राजपत्रित अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस के दिन निविदा खोली जायेगी) को 12:30 बजे अपराह्न में प्राचार्य कक्ष में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताए निविदा को रद्द/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की सूची/नियम एवं शर्ते प्रथम प्रकाशन के तिथि से 21 दिनों के अन्दर किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्य का विवरण	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्वसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष गार्ड के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
कर्मियों की आवश्यकता	सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्वसैनिक गार्ड के जवान/ प्रशिक्षित पुरूष।
निविदा प्रपत्र निर्गत करने की तिथि	प्रथम प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	प्रथम प्रकाशन की तिथि से बाईस दिनों के अन्दर।
निविदा के अग्रधन राशि	30000/– (तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के नाम से देय होगा।

fufonk nks izdkj dh gksxh %& (1) तकनीकि निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा।

fu;e ,oa 'krsZ %&

1. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु बिहार सरकार में निबंधित एजेंसी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित एजेंसी को आतंरिक सुरक्षा कार्य करना होगा। सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्वसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष गार्ड की संख्या आवश्यकता अनुसार होगी। उसी संख्या में से आवश्यकता अनुसार एक सुपरवाईजर का चयन

होगा। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संख्या बढ़ने पर चयनित एजेंसी को सुरक्षा कर्मी की संख्या मुहैया करानी होगी।

2. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम प्रकाशन की तिथि से 22 दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय मे निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट डाक से प्राप्त होनी चाहिए। बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार ही मान्य होगा। डाक विभाग में हुई देरी के लिये अंतिम तिथि में कोई छूट नही दी जायेगी। निविदा की प्रथम प्रकाशन की तिथि ही मान्य होगी।

3. निविदा दो प्रकार की होगी। 1. तकनीकि निविदा, 2. वित्तीय निविदा होगी, दोनो निविदा को अलग–अलग मोहरबंद लिफाफे में सी०डी० के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में तकनीकि एवं वित्तीय टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफे में भरकर बंद कर पी० आर० नम्बर लिखते हुए इस पर जिन कार्यो के लिए निविदा हो उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा – 803115 के पदनाम से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाय।
4. निविदाताओं को तकनीकि निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 30000/– (तीस हजार) रूपये मात्र का प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट या डाकघर द्वारा प्रतिभूत किया गया राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। पूर्व में वित्तीय वर्ष में जमा किये गये अग्रधन राशि की मान्यता नहीं दी जायेगी।
5. एजेन्सी को बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग से निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की वैधता वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनिवार्य है।
6. एजेन्सी को बिहार सरकार के श्रम विभाग का निबंधन अनिवार्य है।
7. एजेन्सी को बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।
8. निविदाताओं को सर्विस टैक्स निबंधित होना अनिवार्य है।
9. एजेन्सी को वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होना अनिवार्य है।
10. एजेन्सी को पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
11. एजेन्सी को एक साल का ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करना होगा।
12. सेवानिवृत फौजी/अर्द्वसैनिक गार्ड/प्रशिक्षित जवान का उम्र संबंधित कागजात (मैट्रिक सर्टिफिकेट) अथवा डिस्चार्य बुक की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। गार्ड की उम्र 55 वर्ष एवं 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
13. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा की प्राप्ति या खोलने की तिथि को परिवर्तित करने तथा किसी भी निविदा न्यूनतम दर होने के बाबजूद भी स्वीकृत या अस्वीकृत करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. वित्तीय निविदा में वित्तीय न्यूनतम दर ही मान्य होगा, अन्य अंकित शर्ते मान्य नहीं होगा।
15. सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्वसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष गार्ड का कार्य असंतोषप्रद अर्थात ड्युटी से अनुपस्थित, सोते हुए या अशोभनीय हरकतों मे संलिप्त होने पर एजेन्सी को 1000/– (एक हजार) रूपये प्रतिदिन तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है या उक्त तिथि का

मानदेय स्थगित/काट दिया जायेगा। कार्यशैली असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में एजेन्सी की सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। बिना स्पष्टीकरण पूछे अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा।

16. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को सभी शर्त पालन करने का एकरारनामा 10 दिनों के अन्दर एक सौ रूपये के नन–जुडिसियल स्टांप पर अनुबंध बनाना होगा ऐसा नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

17. प्राचार्य/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा तीनों पाली के कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति पंजी के अवलोकन करने एवं रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

18. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र, बिहारशरीफ, नालन्दा होगा।

19. सरकार के द्वारा आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान नियमानुकूल किया जायेगा। भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का सूद (ब्याज) देय नहीं होगा। सुरक्षाकर्मी का भुगतान एजेंसी द्वारा हर माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से करना होगा, भले ही संस्थान द्वारा राशि का भुगतान नहीं हुआ हो।

20. वित्तीय निविदा में प्रति सुरक्षा कर्मी के लिए दर अंकित करना होगा। इसी दर के अन्दर ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० एवं श्रम नियमावली आदि के अन्तर्गत देय सभी सुविधा होगी।

21. स्वीकृत दर वाले निविदाता को सशस्त्र सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष गार्ड मुहैया करना होगा। सेवानिवृत फौजी अथवा अर्द्धसैनिक गार्ड के जवान/प्रशिक्षित पुरूष गार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी निविदा रद्द कर द्वितीय दर वाले निविदाता को कार्य आदेश दे दिया जायेगा।

22. निविदा में संलग्न किए गए सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित होना अनिवार्य है।

23. अनुबंध एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रील से 31 मार्च) तक वैध होगा। कार्यो की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। Work Order किसी भी माह में दिया जा सकता है।

24. अनुबंध की अवधि में आपके द्वारा कार्यरत किसी भी गार्ड/सुपरवाईजर की बीमारी, चोट या अन्य दुर्घटना के लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन मानवता के नाते विम्स में उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।

25. कंपनी को गार्ड के रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी।

26. बिल के साथ इन दस्तावेजों को लगाना होगा– हाजरी पुस्तिका का मूलप्रति, पिछले महीने के ई०पी०एफ० के चालान की प्रति, पिछले महीने में जमा ई०एस०आई० चालान की प्रति एवं पिछले महीने भुगतान किए गए तनख्वाह/मजदूरी का सबूत।

27. शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जाँच कॉलेज प्रशासन द्वारा चयनित कमिटी द्वारा की जायेगी। जिसकी फीस प्रति व्यक्ति 200/– के हिसाब से अदा करनी होगी।

28. 24 घंटे के अन्दर किसी भी गार्ड से 8 घंटे से अधिक का कार्य नहीं लेना होगा। किसी गार्ड की छुट्टी पर या अनुपस्थित रहने पर उनके बदले में अन्य पदस्थापित गार्ड से अतिरिक्त कार्य नहीं लेना होगा। नियमानुकूल उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा, किसी अतिरिक्त गार्ड से कार्य करवाने की स्थिति में अनुपस्थित गार्ड की देय राशि उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी।

29. वैसे बिडर (बोली लगाने वाले) को एक प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें किसी आवासीय तकनीकी संस्थान/स्तरीय आवासीय शिक्षक संस्थान में जहाँ छात्र–छात्रायें रहते हो, कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो इस संबंध में संस्थान प्रमुख से, जहाँ आपने कार्य किया है, प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
30. एक बार गार्ड का चयन होने के पश्चात् कंपनी को इसे बदलने का अधिकार नहीं होगा, अगर उस गार्ड की कार्य शैली असंतोषजनक है तब अद्योहस्ताक्षरी इसके संबंध में कंपनी को सूचित करेंगें एवं न्यायोचित कार्रवाई करनी होगी। किसी कारणवश अगर गार्ड नौकरी छोड़ता है उस स्थिति में खाली पद पर अन्य गार्ड की बहाली अधोहस्ताक्षरी से वार्त्ता/परामर्श के पश्चात् करनी होगी। सही गार्ड के नहीं मिलने की स्थिति में यह पद खाली रहेगा अथवा अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि यह खुद एक गार्ड की बहाली करें।

31. कंपनी के मनोनीत पदाधिकारी की पूर्ण जानकारी, नाम, उम्र, अनुभव इत्यादि अद्योहस्ताक्षरी को देना होगा और अद्योहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह समय–समय पर उस पदाधिकारी को विचार विमर्श के लिए पावापुरी में बुला सकते हैं।
32. कुल 20 गार्ड को कार्य पर लगाया जायेगा कंपनी को यह अधिकार होगा कि उनसे किसी एक का चयन कर सुपरवाईजर का काम कराये, लेकिन उक्त सुपरवाईजर को भी नियमाकुल आठ घंटें की ड्यूटी करनी होगी।
33. यह संस्थान पूर्णतः वातानुकूलित है, अतः किसी दुर्घटना जैसे आगजनी संबंधित जानकारी गार्ड को होनी चाहिए। Fire Safety operation की Basic जानकारी हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
34. गार्ड कैंपस के अन्दर Regular Round लेंगें।
35. कार्य स्थल के Water taps/Light/AC को बन्द करने की जिम्मेदारी गार्ड ड्यूटी को होगी।
36. एजेंसी को टॉर्च, Whistle, रेनकोट, Mobile set, लाठी एवं फरसा की व्यवस्था खुद करनी होगी।
37. प्रत्येक Guard का Police Verification योगदान के एक महीने के अन्दर, करना होगा एवं इससे संबंधित दास्तावेज समर्पित करेंगें।
38. नियम एवं शर्त website:- www.vimspawapuri.org से Download कर सकते है।

(ह0–)
प्राचार्य,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालन्दा।